भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 737

दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत

ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए पीएलआई योजना

737. **श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाणः**
श्री सामिक भट्टाचार्य:
श्री एस. सेल्वागनबेथी:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को लागू करने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) मई 2026 तक इस योजना के तहत हुआ निवेश, उत्पादन और सृजित रोज़गार कितना है;

(ग) क्या इस योजना ने उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी और कंपोनेंट्स के स्थानीयकरण में योगदान दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के तहत क्षेत्र-वार कितनी प्रगति हुई है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ) : भारत सरकार ने दिनांक 23.09.2021 को भारत में ऑटोमोबाइल एवं ऑटो अवयव उद्योग के लिए उत्पादनर्ं योजना को (ऑटो-पीएलआई) संबद्ध प्रोत्साहन-25,938 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया जिसका उद्देश्य उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के (एएटी)क्षेत्र में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। पीएलआईऑटो योजना के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है-:-

पैरामीटर	**31.03.2026 तक कुल**
निवेश (करोड़ रुपए में)	44,326
वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में) (करोड़ रुपए में)	52,414

रोज़गार सृजन (संख्या)	67,820
वितरित प्रोत्साहन राशि (करोड़ रुपए में)	₹2,386.36

एएटी उत्पादों के स्वदेशी विनिर्माण एवं स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत घरेलू मूल्य संवर्धन (डीवीए) अनिवार्य किया गया है। दिनांक 16.07.2026 की स्थिति के अनुसार, 18 आवेदकों को 154 उत्पादों/विविधताओं के संबंध में डीवीए प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं।

****